60/22

04.04.2023	पत्रावली आज दिनांक को अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। माननीय राजस्व मंडल के निर्देशानुसार प्रकरण को 01 माह के भीतर निस्तारण किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्टगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हो चुके है। उक्त पक्षकारान मे से आदिनांक तक कोई उपस्थित नही आया। अत बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकरण मे बहस करने हेतु निवेदन किया। जिस पर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। एवं रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है, जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 26.05.2022 पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने के पश्चात आदिनांक तक अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है, जो विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी में रेकर्डेड एवं सहखातेदार है। एवं जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2022 बउनवान सुमारखां बनाम अमीरखां मे पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर बागोडा को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2022 बउनवान सुमारखां बनाम अमीरखां के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली